न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **33/2022**
GCMS NO. : **2022/62**

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. पूनासिंह पुत्र बालू
जति– रावत, निवासी– थोथी
फुलसागर(रास), तहसील
जैतारण जिला पाली।

1. बालु पुत्र लिछमण
2. गुदड़सिंह पुत्र बालू
3. कचरूसिंह पुत्र बालू
4. जयसिंह पुत्र बालू
जातियान– रावत, निवासीगण–
थोथी फुलसागर(रास) तहसील–
जैतारण, जिला– पाली(राज.)
5. राजस्थान सरकार बजरिये
तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकार, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:–22.02.2022**

उपस्थितः–

1. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में निम्नलिखित विवरण की आराजीयात स्थित है :– खसरा नम्बर 870 रकबा 10.4166 हैक्टेयर किस्म कछार दोयम, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.6394 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 957/3 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 911 रकबा 2.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 912 रकबा 1.1736 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 913 रकबा 1.7401 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 914 रकबा 1.0684 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 914/1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 877 रकबा 2.9299 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम उपरोक्त विवरण की आराजीयात को आगे इस प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। आराजीयात की वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजीयात सायल एवं गैरसायल संख्या 01 से 04 की पैतृक एवं पुश्तैनी व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जो सायल एवं गैरसायल संख्या 01 से 04 को विरासती अधिकारों के तहत प्राप्त हुई है। जो सायल के पिता गैरसायल संख्या एक बालु पुत्र लिछमण व सायल की दादी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

झूनी पत्नी लिछमण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा सायल की दादी झूनी पत्नी लिछमण जो पूर्व में फौत हो चुकी है तथा उक्त आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा मौके पर बाहमी बंटवाड़े के अनुसार माठे भी कायम हो रखी है तथा आपसी सहमति से अपने अपने हक हिस्से अनुसार बरोकटोक शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त विवरण की आराजीयात सायल के दादा स्व. लिछमण वल्द चंदा की भूमि है। जो पैतृक व पुश्तैनी भूमि है जो सायल एवं गैरसायल संख्या एक से चार को विरासती अधिकारों के तहत प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने के समर्थन में उक्त विवरण की आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2056 की प्रमाणित प्रतियां इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिससे बखुबी आराजीयात पैतृक व पुश्तैनी होना साबित व प्रमाणित है। उक्त विवरण की आराजीयात गैरसायल संख्या एक के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा गैरसायल संख्या एक बालू पुत्र लिछमण सायल का पिता है जो उम्र दराज व वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र करीबन 80 वर्ष है। जो अनपढ़ एवं अशिक्षित होने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षीण एवं कमजोर है तथा सोचने व समझने में सक्षम एवं समर्थ नहीं है। जिसका नाजायज फायदा गैरसायल संख्या 02 से 04 उठाने की मंशा से गैरसायल संख्या एक को अपने साथ रखते है तथा गैरसायल संख्या 01 को सायल के खिलाफ भड़काते रहते है और उक्त आराजीयात दिगर व्यक्तियों को बैचान एवं हस्तान्तरित करनें एवं सायल को अपने हक हिस्से से बेदखल करनें पर उतारू एवं आमदा हो रखे है। गैरसायल संख्या 01 वृद्ध व्यक्ति है जो शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर है। जिसका गैरसायल संख्या 02 से 04 किसी भी समय नाजायज फायदा उठा सकते है और उक्त पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि को अन्यत्र बैचान एवं हस्तान्तरित कर आराजीयात को हड़प कर सकते है तथा सायल को अपनी पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर सायल को क्षति कारित कर सकते है तथा सायल को अपने पैतृक व पुश्तैनी एवं विरासती अधिकारों से वंचित कर सकते है। सायल अनपढ़ व अशिक्षित ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो गरीब काश्तकार हैं तथा सायल एवं सायल का पूरा परिवार उक्त विवरण की आराजीयात पर आश्रित है। उक्त आराजीयात के अलावा सायल के पास आजीविका का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है तथा सायल परिवार में भी सबसे बड़ा है तथा काफी समय तक पिता के साथ रहते हुये गैरसायल संख्या 02 से 04 व परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण गुजर बसर व शादी विवाह में पिता गैरसायल संख्या 01 बालू पुत्र लिछमण का सहयोग देता रहा है लेकिन उक्त विवरण की आराजीयात रास क्षेत्र में स्थित है और रास क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्रीयों के संचालन के दौरान क्षैत्र में भू माफियाओं का बोलबाला है तथा गैरसायल संख्या 01 की वृद्धावस्था व शारीरिक व मानसिक असमर्थता का नाजायज फायदा उठाते हुये गैरसायल संख्या 01 को अपनी बहकावट व सिकावट में लेकर छलकपट कर उक्त आराजीयात को बैचान एवं हस्तान्तरित करने पर उतारू एवं आमदा हो रखे है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 की वृद्धावस्था और शारीरिक व मानसिक कमजोरी एवं असमर्थता का नाजायज फायदा उठाकर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरसायल संख्या 02 से 04 भू माफियों से मिलकर सायल की पैतृक व पुश्तैनी भूमि को अजनबी क्रेता को बैचान हस्तान्तरण कर देते है या भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो सायल अपनी पैतृक व पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं तथा सायलान हमेशा हमेशा के लिये अपने साम्पैतिक हक अधिकार से वंचित एवं महरूम हो जायेगा तथा सायल ने आज अदालत श्रीमान के समक्ष एक मूल वादपत्र/प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूर्णतया संभावना हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी साबित है तथा जिस पर सायलान बतौर काबिज काश्तकार के काबिज हैं। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में नहीं होकर सायल के पक्ष में साबित व प्रमाणित हैं। यदि विवादित कृषि भूमि से गैरसायलान को बेदखल कर अन्य अजनबी क्रेता को बैचान करते है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को ना होकर सायल को होने की पूर्ण संभावना है। इसलिये सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी पुनासिंह एवं अप्रार्थी संख्या एक बालू जो परस्पर पिता पुत्र है के अलावा अन्य सहखातेदार भी है, जिन्हें प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र में बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण